प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 23.11.2024

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।**
- **थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा जनपद कानपुर देहात में अलग-अलग स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 02 नफर शातिर अभियुक्तगण को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के कुल 51,605/- रूपये व 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 अदद कार इको स्टार ग्रे रंग संख्या UP 79 AC 8933 बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 22/23.11.2024 की रात्रि को जैनपुर टकटौली रोड पर झाडी बाबा मंदिर के पास संदिग्ध वस्तु/वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी कि तभी एक इको गाडी में सवार 03 व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया जिसपर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी तो पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु फायरिंग की गयी जिसमें एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। उक्त व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जब पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम 1. नन्द किशोर राजपूत उर्फ नन्दू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी नन्दपुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया बताया तथा दूसरे अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा दौडाकर पकड लिया गया जिसकी पहचान 2. बृजेश कुमार गौतम पुत्र मिजाजीलाल निवासी निमुझारा थाना दिबियापुर जनपद औरैया के रुप में हुई है एवं तीसरा अभियुक्त सज्जन पुत्र गयाप्रसाद निवासी नन्दपुर उमरी थाना दिबियापुर जनपद औरैया अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए अभियुक्त नन्द किशोर राजपूत उर्फ नन्दू को उपचार हेतु सीएचसी अकबरपुर भेज दिया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा चोरी से सम्बन्धित 51,605/- रूपये एवं 01 अदद कार इको स्टार ग्रे रंग संख्या UP 79 AC 8933 बरामद हुई है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अकबरपुर पर मु0अ0स0 559/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 109 बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ विवरणः अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों ने थाना अकबरपुर क्षेत्रांतर्गत व जनपद कानपुर देहात के अन्दर विभिन्न जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दिनांक 23.07.2024 की रात्रि में ग्राम शहजादपुर बुलेट शोरूम के सामने मकान से खिड़की को काटकर चोरी किया था तथा दिनांक 05.09.2024 को अशोक नगर कस्बा अकबरपुर में एक घर से चोरी की थी एवं दिनांक 20/21.11.2024 की रात्रि में नबीपुर में दो घरों से ताला तोड़कर चोरी की थी तथा दिनांक 05.09.2024 को अशोकनगर कस्बा अकबरपुर में एक घर में घुसकर चोरी की थी व दिनांक 27.10.2024 की रात्रि में ग्राम करियाझाला झींझक में एक मकान का खिड़की तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था । आज हम लोग पुनः चोरी करने की योजना बना रहे थे तथा हम दोनों मौके की तलाश में निकले ही थे कि पुलिस वालों को देखकर डर गये और पकड़े जाने की डर से भागने का प्रयास किया तथा पुलिस पार्टी पर फायर किया किन्तु जवाबी कार्यवाही में घायल हो गये और तभी आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। पकड़े गये उक्त दोनों व्यक्तियों से चोरी के मिले सामान के सम्बन्ध में गहनता से पूछा गया तो बताया कि चोरी में मिले सामान को सज्जन (फरार अभियुक्त) ही रखता है, फिर बाद में हम लोगों को हिस्सा देता है तथा हिस्सा मिलने के बाद हम लोग सामान व जेवरात आदि राह चलते लोगों को बेच देते हैं जिनका पैसा अपनी शौक पूरी करने में खर्च कर लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. नन्द किशोर राजपूत उर्फ नन्दू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी नन्दपुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया ।
2. बृजेश कुमार गौतम पुत्र मिजाजीलाल निवासी निमुझारा थाना दिबियापुर जनपद औरैया ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नन्द किशोर राजपूत-

1. मु0अ0स0 340/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 417/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 555/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 273/2024 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना मंगलपुर कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 559/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 109 बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर कानपुर देहात ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बृजेश कुमार गौतम-

1. मु0अ0स0 340/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 417/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 555/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 273/2024 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना मंगलपुर कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 559/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 109 बीएनएस 2023 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण -

1. चोरी के कुल 51,605/- रूपये
2. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद कार इको स्टार ग्रे रंग संख्या UP 79 AC 8933 बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली थाना अकबरपुर पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 श्री सतीश कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री रामकिशुन वर्मा

3. उ0नि0 श्री शिवशंकर
4. हे0का0 09 प्रवीण कुमार
5. का0 256 दाऊजी
6. का0 32 भूपेन्द्र सिंह